न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
77/2022	27.07.2022	28.5.2025

1. बाबूसिंह पुत्र गोकल, खारवाल निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर सिटी
2. हीरालाल पुत्र गोकल, खारवाल निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर सिटी
2/1 बने सिंह पुत्र हीरालाल, खारवाल निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर सिटी
2/2 भगतसिंह पुत्र हीरालाल, खारवाल निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर सिटी
2/3 सुमन पुत्री हीरालाल पत्नी प्रहलाद, खारवाल निवासी 185, छोटा गोलपुरा, सुभाष नगर भरतपुर
2/4 धर्मवती पुत्री हीरालाल पत्नी मागसिंह, खारवाल निवासी 185, छोटा गोलपुरा, सुभाष नगर, भरतपुर
2/5 दाखा बाई पत्नी हीरालाल, खारवाल निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर सिटी

—प्रार्थीगण

बनाम

1. आनंदी पत्नी स्व. सामन्तसिंह, खारवाल निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर
2. गुडडीबाई पुत्री स्व. सामन्तसिंह, खारवाल निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर
3. फतेहसिंह पुत्र स्व. सामन्तसिंह, खारवाल निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर
4. विजय सिंह पुत्र स्व. सामन्तसिंह, खारवाल निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर
5. विनोद पुत्र स्व. सामन्तसिंह, खारवाल निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर सिटी
6. विनोद पुत्र स्व0 सामन्तसिंह, खारवाल निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर
7. मन्नूसिंह उर्फ मंगलसिंह पुत्र सामन्तसिंह, खारवाल निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर सिटी
8. जगदीश पुत्र गोकल, खारवाल निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर सिटी
9. बैंक ऑफ बडौदा शाखा उदेईकलॉं जरिए शाखा प्रवन्धक
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रिसीवरी

उपस्थित :— श्री महेश चंद अग्रवाल, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र रिसीवरी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम उदेईकलॉं तह0 गंगापुर सिटी मे भूमि ख0न0 1636 रकवा 0.69 है0, ख0न0 444/6392 रकवा 0.46 है0 स्थित है, जिसमे प्रार्थीगण का हिस्सा 1/4, 1/4 एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 का हिस्सा 1/24, 1/24 व अप्रार्थी संख्या 7 का हिस्सा 1/4 दर्ज है। इस भूमि का कोई विभाजन नही हुआ है। दिनांक 25.7.2022 को प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर गये तो अप्रार्थीगण एकराय होकर आ गये एवं अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि वे प्रार्थीगण को भूमि से लाभान्वित नही होने देगें। भूमि के कब्जे को लेकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.18 11:08:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

पक्षकारों मे तनाजा है। इसलिए भूमि की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 1636 रकबा 0.69 है0, ख0न0 444/6392 रकबा 0.46 है0 ग्राम सवेईकलॉ पर तहसीलदार गंगापुर सिटी को रिसीवर नियुक्त फरमाया जावे एवं भूमि कब्जे राज मे ली जाकर फसल काश्त नीलामी की कार्यवाही की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 तथा 3 ता 7 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र रिसीवरी प्रस्तुत कर अंकित किया है कि पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त भूमि का 30 वर्ष से अधिक समय पूर्व से विभाजन हो चुका है। जिसके अनुसार ख0न0 1636 रकबा 0.69 है0 मे से साढे सत्तावन एयर भूमि सडक के पास पूर्वी तरफ की अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के हिस्से मे आयी है तथा इसका शेष साढे ग्यारह एयर हिस्सा व ख0न0 444/6392 रकबा 0.46 है0 कुल साढे सत्तावन एयर भूमि प्रार्थीगण के हिस्से मे आयी है। इसी अनुसार पक्षकारान 30 वर्ष से अधिक समय से भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। गैरसायलान ने अपने हिस्से मे आयी भूमि जो ऊबड खाबड व गद्ढेनुमा थी को लाखों रूपये खर्च कर उपजाऊ बनाया है परन्तु अब प्रार्थीगण ने बदनियती के कारण यह प्रार्थना पत्र व दावा निराधर प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण अपने कब्जे की भूमि को खुर्द बुर्द नही कर रहे है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र रिसीवरी के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 493, फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। दोनो ही पक्षों की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस मे अंकित किया है कि भूमि ख0न0 1636 रकबा 0.69 है0, ख0न0 444/6392 रकबा 0.46 है0 स्थित है। जिसमे प्रार्थीगण का हिस्सा 1/24, 1/24 अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 का हिस्सा 1/24, 1/24 व अप्रार्थी संख्या 7 का हिस्सा 1/4 दर्ज है। पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त कर रहे है परन्तु अब पक्षकारों के मध्य कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (सवाo)

काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। आराजी सडक के पास होने के कारण अप्रार्थीगण की नियत मे फितूर आ गया है और वे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न करने लग गये है। भूमि पर कब्जे को लेकर पक्षकारों के मध्य तनाजा है। भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। अपने कथन के समर्थन मे वकील प्रार्थीगण ने न्याय दृष्टात आर.बी.जे. 2008 पेज 184, आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 1150, आर.आर.डी. 2005 पेज 783, आर.आर.डी. 1986 पेज 522, पेज 622 आर.आर.डी. 1982 पेज 100, आर.आर.डी. 1981 पेज 506 पैरा डी प्रस्तुत किये है।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकगण ने अपनी लिखित बहस में अंकित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण मे पाबंदी का आदेश कभी जारी नही किया गया है। विभाजन का दावा व प्रार्थना पत्र रिसीवरी पिछले तीन चार साल से चल रहे है। इसी बीच पक्षकारों के मध्य कभी कोई झगडा, मारपीट नही हुई है तथा मौके पर कभी गंभीर स्थिति भी पैदा नही हुई है। गंभीर विवाद सम्बन्धी कोई दस्तोवज भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को कोई नुकसान नही पहुचाया जा रहा है एवं भूमि का ट्रांसफर भी नही किया जा रहा है। प्रार्थीगण का केस रिसीवर नियुक्त किये जाने बाबत नही बनता है। अपने बहस के समर्थन मे वकील अप्रार्थीगण ने न्याय दृष्टान्त 2019(1) डीएनज राजस्थान हाईकोर्ट पेज 377, आर0बी0जे0 (5) 1998 पेज 128 प्रस्तुत किये है। अपनी बहस मे अप्रार्थीगण के वकील ने यह भी अंकित किया है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस केस लागू नही होते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रिसीवरी खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किये जाने हेतु भूमि को बेस्ट, डेमेज, एलिमिनियेट किये जाने के तथ्य आवश्यक होते है। प्रस्तुत प्रकरण मे प्रार्थीगण ने इस तरह का कोई दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत नही किये है। जिससे वादग्रस्त भूमि को वेस्ट, डेमेज, एलिमिनियेट किये जाने का अंदेशा साबित होता हो। अप्रार्थीगण ने अपने जबाब मे भी इस तथ्य को अंकित किया है कि वे भूमि को खुर्द बुर्द नही कर रहे है। पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का अवलोकन करने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)
उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण पर लागू नही होते है। फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिसीवरी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिसीवरी खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 28/5/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:22 IST
Reason: SelfAttested